620
28.9.12

8

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवां म0प्र0

श्री महेन्द्र अग्निहोत्री एड. रीवा द्वारा पेश
28/9/12
28.9.12

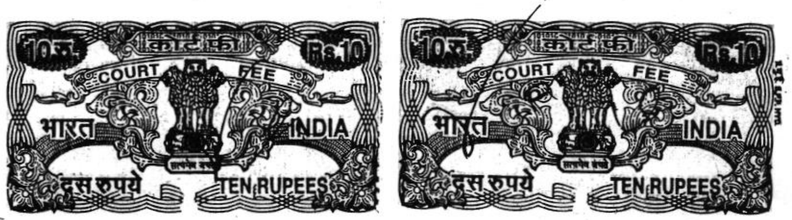

R. 3789-I/12

1– मु0 मनगिरिया बेवा पत्नी नाजिर वक्श मुसलमान ।

2– मो0 वसीर तनय नाजिर नक्श मुसलमान।

3– अब्दुल मजीद तनय नाजिर नक्श मुसलमान।

4– अब्दुल कलाम तनय नाजिर नक्श मुसलमान, उक्त सभी निवासी ग्राम जियावन तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0

------------आवेदकगण

2-11-12

बनाम्

अब्दुलगनी तनय नाजिर वक्श मुसलमान निवासी ग्राम जियावन जिला सिंगरौली म0प्र0

------------गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन पत्र विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवसर जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 141/अपी0/09–10 पर पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11/09/12 से व्यथित होकर

प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

महोदय

निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत हैः–

1– यह कि मौजा जियावन /तहसील देवसर स्थित आराजी खसरा कमांक 85 रकवा 2.023 हे0 के संबंध में पक्षकारों के मध्य विवाद है यही आराजी निगरानी के विषय वस्तु है, जिसे आगे कण्डिकाओं में विवादित आराजी के सूक्ष्म नाम से सम्बोधित किया जाएगा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

(8)

निगरानी 3789–एक / 12

श्रीमती मनगिरिया मुसलमान विरूद्ध अब्दुलगनी मुसमान

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-8-2018	आवेदक अभिभाषक श्री महेन्द्र अग्निहोत्री एवं अनावेदक अभिभाषक श्री अरविन्द पाण्डे अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार देवसर के प्रकरण कमांक पंजी कमांक 1 में पारित आदेश दिनांक 14–5–2007 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील लंबित रहने के दौरान आवेदक द्वारा द्वारा एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अधीन पेशकर कर प्रकरण के प्रचलनशीलता पर पेश किया। जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 11–9–12 को आवेदक का आदेश 7 नियम 11 का आवेदन अमान्य किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसपर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत विचार करने के उपरांत आदेश 7 नियम 11 के तहत तथ्य सिद्ध न पाते हुये आवेदक के उक्त आवेदन को अंतरिम आदेश दिनांक 11–9–2012 पारित कर अमान्य किया है। आवेदक की ओर से इस न्यायालय में ऐसे कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता हो कि	

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन को निरस्त करने में कोई त्रुटि की हो।

उपरोक्त विवेचना के अनुसार इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिल सिगरौनी का आदेश दिनांक 11—9—12 यथावत रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाख़िल रिकार्ड हो।

6/8/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य